कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
(आदिवासी विकास शाखा)

कार्यालय 07856252441 फैक्स 07856252441 e-mail-actd.dantewada@gov.in

क्रमांक/2632/आ.वि./आ.ला.पो.मै.छा./2023-24 दंतेवाड़ा दिनांक-20.02.2024

प्रति,

जिला जनसंपर्क अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) वर्ष 2023-24 की ऑनलाईन स्वीकृति संबंधी सूचना प्रकाशन जिले के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करने बाबत्।

संदर्भ :- **आयुक्त,** आ.जा. तथा अनु.जा. वि.वि. अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रं./आ.ला.पो.मै. छा./162/2023-24/12397 नवा रायपुर दिनांक 15/02/2024.

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तहत् लेख है कि संलग्न सूचना प्रकाशन जिला स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करें, जिससे छ.ग. राज्य एवं छ.ग. राज्य के बारह अध्ययनरत (छ.ग. के निवासी) जो शासकीय/अशासकीय आई.टी.आई., महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों एवं प्राचार्यों/संस्था प्रमुखों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पंजीयन/स्वीकृति की तिथि वृद्धि की सूचना प्राप्त हो सकें।

संलग्न :- विज्ञप्ति

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास दन्तेवाड़ा

पृ. क्रमांक/2632/7 /आ.वि./आ.ला.पो.मै.छा./2023-24 दंतेवाड़ा दिनांक-20.02.2024

प्रतिलिपि :-

6. आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास विभाग इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।
7. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाडा को सूचनार्थ।
9. नोडल अधिकारी, शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति दंतेवाड़ा को सूचनार्थ/पालनार्थ।
10. प्राचार्य .... को सूचनार्थ/पालनार्थ।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास दन्तेवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

।। तिथि वृद्धि की सूचना प्रकाशन ।।

वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना

छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अध्ययनरत् (छ.ग. के निवासी) जो शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी. आई. आदि में अध्ययनरत् है। जिनका संस्थाओं में प्रवेश विलम्ब से हुआ है तथा जिन पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित हुआ है, ऐसे **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग** के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/** वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जा रही है। :-

क्रं.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	छ.ग. राज्य में अध्ययनरत् विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 14.03.2024
1	छ.ग. राज्य के बाहर अध्ययनरत् (छ.ग. के निवासी विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 15.03.2024 से दिनांक 26.03.2024
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 28.03.2024
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 30.03.2024
4	Disburse करने हेतु	दिनांक 31.03.2024

यह अंतिम अवसर विद्यार्थियों को प्रदाय किया जा रहा है। निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2023-24 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन एवं draft proposal Lock अथवा sanction order lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होगें।

नोट :-

छात्रवृत्ति का **PFMS** के माध्यम से आधार आधारित भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय **आधार सीडेड बैंक खाता नंबर** की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास दन्तेवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner